

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय

द्वितीय तल, पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होलकर भवन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015


क्रमांक: 201

दिनांक: 07/02/2026

कार्यालय-आदेश

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर के पत्रांक F.1(46)Estb/DSAP/2022-00528/1705 दिनांक 02.02.2026 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय (रिट याचिका संख्या 1405/2023) की पालना में Transgender Person (Protection of Rights) Act, 2019 की धारा 11 एवं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के नियम 13 (1) के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2023 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम, 2023 के बिन्दु संख्या 6 की अनुपालना में प्रो. एम. के. पण्डित सेवानिवृत्त प्रोफेसर/प्राचार्य, महाराजा कालेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को शिकायत निवारण हेतु विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया गया है। उक्त प्रकरणों की सुनवाई इनके द्वारा की जाएगी।

यह आदेश माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा अनुमोदित है।



ममता यादव (आर.ए.एस.)

कुलसचिव


बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय,
जयपुर

क्रमांक : 202-208

दिनांक: 07/02/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
3. निजी सहायक, कुलगुरु बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. प्रो. एम. के. पण्डित, मकान न. 86, रामगली न. 6, राजा पार्क, सूरज मैदान के पास, जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. प्रभारी, वेबसाइट, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
7. रक्षित पत्रावली।



कुलसचिव